



कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2026/राजकाज रेफरेंस नंबर

दिनांक :- ई हस्ताक्षरित

-:: कार्यालय आदेश ::-

अनुमोदित ले-आउट प्लान (आवासीय योजना प्रयोजनार्थ) खसरा नम्बर 172, 304/173, 298/171 (west side part) ग्राम मानपुरा क्षेत्रफल 11200 वर्गमीटर का ले-आउट प्लान का समिति की बैठक दिनांक 30/08/2024 में लिये गए निर्णयानुसार अनुमोदन किया गया था। उक्त योजना में आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.5 प्रतिशत में भूखण्ड सं0 A-5 व F-2 (कुल 2) क्षेत्रफल 7685 वर्गफीट आरक्षित किये गये थे।

योजना में आंतरिक विकास कार्य बाबत चार्टर्ड इंजीनियर के पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 08/04/2026 एवम् अभियांत्रिकी शाखा की रिपोर्ट के आधार पर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के दृष्टिगत आरक्षित भूखण्ड सं0 A-5 व F-2 (कुल 2) क्षेत्रफल 7685 वर्गफीट आरक्षित से मुक्त किये जाने प्रस्तावित है।

इस कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 12/1/2016 के अनुसार आरक्षित भूखण्डों के 10 प्रतिशत भूखण्डों की आरक्षित दर का 120 प्रतिशत अर्थात् आरक्षित दर + आरक्षित दर का 20 प्रतिशत के आधार पर कीमत की 3 वर्ष के लिए बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. लिए जाने का प्रावधान है। आवेदक द्वारा राजस्थान ग्रामीण बैंक, आर.के.पुरम्, कोटा की बैंक गारंटी संख्या 83113365184 दिनांक 06/07/2026 राशि 5,99,928 रु. (अक्षरे पांच लाख निचानवें हजार नौ सौ अट्ठाईस रुपये मात्र) प्रस्तुत की गई है, जिसके फलस्व भूखण्ड सं0 A-5 व F-2 (कुल 2) क्षेत्रफल 7685 वर्गफीट आरक्षित से मुक्त किए जाते हैं।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) उपायुक्त (.....), कोटा विकास प्राधिकरण।
- (2) रजिस्टार, रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, उद्योग भवन, द्वितीय व तृतीय तल, आर.एस.आई.सी. विंग, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, राजस्थान, जयपुर।
- (3) श्री ईश्वरलाल सैनी (मु0खास), निवासी-ए/आर 86, आर.के.पुरम्, कोटा (राज0)।

सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण

Signature valid

Digitally signed by Mukesh Kumar Choudhary
Designation : Secretary
Date: 2026.07.24 06:12:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23458214
M e-Sign



Scanned with OKEN Scanner